जैविक खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट

पृष्ठ 4 का शेष

इस प्रकार पर्त के ऊपर पर्त लगाकर गड्ढे को भर दिया जाता है और अन्त में गड्ढे की मिट्टी तथा गोबर के मिश्रण से लिपाई कर दें। ऐसा करने से अन्दर की नमी और तापमान दोनों बने रहेंगे। कम्पोस्ट बनाने की इस प्रक्रिया में गड्ढे को तीन बार पलटा जाता है। पहली बार गड्ढा भरने के 25 से 30 दिन बाद। दूसरी बार इसके 20–25 दिन बाद एवं तीसरी बार 30–45 दिन बाद। हर बार गड्ढे की पूरी सामग्री को अच्छी प्रकार मिलाकर पानी से नम कर लिया जाता है और पुनः गड्ढे को मिट्टी, गोबर, भूसे से ढक कर लेप कर दिया जाता है। इस प्रकार घाटियों तथा मध्यम ऊँचाई के क्षेत्रों में 3 से 4 माह में तथा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में 4 से 5 माह में खाद तैयार हो जाती है। इस प्रकार तैयार कम्पोस्ट में गोबर की खाद के समान ही सम्पूर्ण पोषक तत्व मौजूद रहते हैं।

कम्पोस्ट को अधिक गुणकारी बनाना

कम्पोस्ट में प्रति कि.ग्रा. भार के आधार पर पोषक तत्वों की कमी होती है। र उर्वरकों से इसलिए कम्पोस्ट की तुलना नहीं है। कम्पोस्ट में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक ड प्रक्रिया महंगी है। इसलिए कम्पोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार लाने के लिए घरेलू पदार्थ काम में लाते है।

कम्पोस्ट के गड्ढों में चूना मिलाना

कम्पोस्ट की गुणवत्ता व पी. एच. मान ठीक रखने के लिए चूने के घोल या पाऊडर को हर पर्त पर छिड़कना चाहिए। इससे कम्पोस्ट की अम्लता के साथ–साथ कम्पोस्ट से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि तत्व मिलते है।

कम्पोस्ट में फास्फोरस की मात्रा बढ़ाना

गड्ढा भरते समय 4 से 5 प्रतिशत रॉक फास्फेट मिलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कम्पोस्ट के गड्ढों में जलकुम्भी, केले की छाल और तने, आलू के सूखे तनों व पत्तियों को मिलाया जा सकता है। इन सभी वनस्पतिक पदार्थो में पोटेशियम के साथ–साथ कैल्शियम व मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, का प्रयोग कम्पोस्ट की गुणवत्ता बढ़ाने में किया जा सकता है।

कम्पोस्ट के गड्ढों में एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम (नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु) तथा फास्फेट विलेयक जीवाणु (स्युडोमोनास, बैसिलस, एसपरजिलस) मिलाने से इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

जैविक प्रमाणीकरण के मानक एवं उनका चयन

जैविक खेती हेतु विशेष प्रकार के नियम बनाए गये हैं, इन नियमों मानक (Standard) कहते हैं। जैविक खेती हेतु आधारभूत मानकों को जर्मनी की IFOAM नामक संस्था द्वारा तैयार किया गया है। विभिन्न देशों IFOAM के आधारभूत मानकों को आधार मानकर अपने अपने देशों स्थानीय दशाओं के अनुसार अपने देशों में जैविक खेती को प्रोत्साहित व के लिए मानकों को तैयार किया है। प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मानकों विवरण निम्न प्रकार हैः

क्र.स.	मानक का नाम	देश का
1.	एन.पी.ओ.पी (नेशनल प्रोग्राम फार आर्ग्रेनिक प्रोडक्सन)	भारत
2.	एन.ओ.पी. (नेशनल आर्गेनिक प्रोग्राम)	अमेरिका
3.	ई.यू. रेगुलेशन (यूरोपीयन यूनियन)	यूरोप
4.	जे.ए.एस. (जापानीज एग्रीकल्चर स्टैण्डर्डस)	जापान

उत्पादक/उत्पादक समूहों को जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा उत्पा उत्पाद को किस देश में विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। तदानुसार सम्बि देश के मानक का चयनकर उस मानक की दिशानिर्देशों के अनुसार उत्प करते हुए प्रमाणीकरण का कार्य करवाना चाहिए। यदि उत्पादक/उत्पादक समूहों द्वारा बाजार का चयन पहले से किया जाना सम्भव नहीं हो पा रह ऐसी दशा में उनकों एक से अधिक मानकों के अनुसार उत्पादन करते प्रमाणीकरण का कार्य करवाना चाहिए।

यदि उत्पादक/उत्पादक समूह अपने द्वारा उत्पादित उत्पाद को केवल देश के अन्दर ही विक्रय करना चाहते हैं, तो उस दशा में एन.पी मानक के अनुसार उत्पादन एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जाना पर्याप्त

(संजीव श्रीवास्तव)
गुणवत्ता प्रबन्धक
उ.जै.उ.प.

बॉयो फैक – 2008

जैविक उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय मेला

प्रथम पृष्ठ से आगे

व्यापारिक प्रतिष्ठान सौन्दर्य प्रसाधनों का व्यापार कर रहे वे उनकी प्रथम आवश्यकता जड़ीबूटी, औषधीय पौध एवं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तेल हैं।

विश्व स्तर पर जैविक उत्पादों को लेकर जागरूकता दिन प्रति दिन बढ़ रही है, भारत विश्वस्तरीय जैविक बाजार में अपनी महत्पवूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है, इस परिदृश्य में हमारे राज्य उत्तराखण्ड में जैविक खेती में हो रहे प्रयोगों पर पूरे विश्व की नज़र है। यदि हम अपनी खेती गुणवत्ता व व्यावसायिकता को अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों पर ठीक बैठा पाते हैं तो यह कहा जा सकता है कि जैविक खेती राज्य विकास को नये शिखर तक ले जा सकती है। जैविक खेती से जुड़ा विकास ऐसा विकास होगा जिसके माध्यम से राज्य में भौगोलिक संतुलन तो बना ही रहेगा साथ यहाँ के निवासियों की आजीविक में व्यापक वृद्धि होगी, और सबसे महत्वपूर्ण यह होगा की हम विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर पायेंगे।

जैविक उत्पादों के विपणन की रि
वर्श 2007 अप्रैल–से अब तव

क्रंसं0	उत्पाद का नाम	मात्रा(कु0 में)	विक्रय कीमत (लाख रू0)
1.	धान	7827	157.00
2.	दाल	420	13.35
3.	मंडुआ	2187	22.47
4.	जैविक सब्जी	8.55	7.75
5.	जैविक फल	130	0.66
6.	बायो कम्पोस्ट	6000	1.50
7.	मसाला	491	24.85
8.	गेहु	600	7.44
9.	अन्य(गेंहू का आटा,तेल,विभिन्न मेला में विक्रय उत्पाद)		40.00
	कुल		(दं

दिल्ली हाट –2008

प्रथम पृष्ठ से आगे

जैविक औषधीय पदार्थ एवं एपण कला इत्यादि की बिक्री की गयी। हालांकि जैविक उत्पादों एवं हस्त शिल्पों को आगंतुकों ने खूब पसंद किया लेकिन पर आगंतुकों द्वारा जैविक खाद एवं अन्य उत्पादों के प्रति काफी उत्साह देखा ग इस आयोजन का मुख्य उददेश्य यह है कि राज्य के ग्रामों से जै उत्पादों, प्राकृतिक रेशों से निर्मित वस्तुयें, हैण्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट आदि क प्रदर्शित, प्रोत्साहित व उनका विपणन करवाना। दिल्ली हॉट में एक ओर आगंतुकों ने जैविक स्नैकस व पर्वतीय पारम्परिक वस्तुओं की ख़रीददारी की दूसरी ओर राज्य के स्थानीय कलाकारों के छोलिया नृत्य का भी दर्शकों ने आन्नद उठाया।

इस वर्ष एक लाख से अधिक लोगों ने 'स्प्रिट ऑफ उत्तरांचल', दि हाट का भ्रमण किया व लगभग 20 लाख रुपये के जैविक उत्पादों एवं हस्त का विपणन हुआ।

उत्तरा के नियमित पाठक बनने हेतु निम्न प्रारूप का प्रार्थना पत्र बना कर भेज

सेवा में,
दस्तावेजीकरण अधिकारी,
उ0जै0उ0प0,
देहरादून।

विषयः– उत्तरा का नियमित पाठक बनने का/की इच्छुक हूं।

महोदया,

मैं उत्तरा का नियमित पाठक बनने का/की इच्छुक हूं। कृपया रूपया 100 प्रति वर्ष डाक खर्च की दर से माह.....2008 से माह.....200 तक मुझे ..... वर्षों हेतु उत्तरा भिजवाने का कष्ट करें। मै धनराशि रूपया ... .सौ (चैक/डाफ्ट/नकद)..... के माध्यम से प्रेषित कर रहा/रही हूं। कृपया मुझे उत्तरा निम्न पते पर भिजवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद

भवदीय,

दिनांक

पूरा नाम .....
उत्तरा भिजवाने का पता.....
दूरभाष सं. .....